17/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 126/2011 तारीख रजू–31.3.2011

1. श्रीकिशन 2. प्रेमराज 3. मनोहरलाल 4. श्यामलाल पिसरान रामसहाय समस्त जातियान मीना निवासीयान डूँगरवाडा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
5. [illegible]नोती बेवा रामसहाय जाति मीना निवासी डूँगरवाडा तह.बामनवास।

अपीलार्थीगण......

बनाम

1. ज्ञान चन्द पुत्र हीरा चन्द जाति मीना निवासी डूँगरवाडा तह.बामनवास जिला स0माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास।

प्रत्यर्थीगण.....

निर्णयः– दिनांक 30.01.2017

अपीलार्थीगण ने यह अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बामनवास के निर्णय दिनांक 17.12.77 (विरासत पर्चा खतौनी ग्राम डूँगरवाडा) के विरूद्व दिनांक 20.10.10 को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहाँ प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा दिनांक 20.10.10 को अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर रेस्पोन्डेट्स की तलबी जारी की गई तहत न्यायालय की पत्रावली प्राप्त व तलबी पश्चात दिनांक 8.3.2011 के आदेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा इस न्यायालय को प्रकरण को क्षेत्राधिकार मे नहीं होने से स्थानान्तरण किया गया। तद्पश्चात दिनांक 31.3.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 127, 128, 130, 131, 252 लगायात 255, 392, 393, 433 लगायत 436, 441 लगायात 443 एवं [illegible] की खातेदारी रामसहाय एवं ज्ञानचन्द पिसरान हीराचन्द हिस्सा 1/2 व हीराचन्द का भाई मूल्या का नाम बतौर खातेदार 1/2 हिस्से में दर्ज था। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से साज [illegible] में उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को मूल्या पुत्र भौरया के स्थान पर रेसपोडेन्ट नं. 1 ने साज कर 1/2 हिस्सा पृथक से अपना नाम दर्ज विधि विरूद्व तरीके से करालिया है तथा तहत न्यायालय ने मूल्या की विरासत ज्ञानचन्द के नाम दर्ज करने से पूर्व कोई जॉच नहीं की तथा मूल्या के 1/2 हिस्से को हडप ने गरज से अपने नाम खातेदारी करवाली, अपीलान्ट से कोई नोटिस वगै. जारी नहीं किया गया। अपीलान्ट्स को अपना पक्ष/साक्ष्य रखने का कोई अवसर नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। नामान्तरकरण में वर्णित आराजी पर शुरू ही अपीलान्ट काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। इसी के साथ पृथम दृष्टया पर्चा खतौनी के पृष्ठ भाग के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि मूल्या फोत होने से उसका जाईन्दा लडका ज्ञानचन्द पुत्र मूल्या होने से मूल्या के स्थान पर मूल्या के पुत्र ज्ञानचंद का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा दुसरी ओर हीराचन्द की विरासत में अपना हिस्सा 1/4, 1/4 रामसहाय व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पोडेन्ट ज्ञानचन्द अपने नाम करवाता है। इससे स्पष्ट है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से साज कर उक्त खाना पूर्ति कार्यालय में की गई है क्योकि दोनो आपास में विरोधाभाषी तथ्य है कि ज्ञान चन्द की वल्दियत मूल्या है या हीराचंद तथा विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौके व कब्जे की कोई जॉच तहत न्यायालय द्वारा नहीं की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल की कई नजीरो में स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को पृविष्ठया पूर्ववत रिपिट करनी चाहिये इस कारण अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है तथा प्रारम्भ से शून्य आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाकर निरस्त करवाया जा सकता है ऐसे आदेश पर कोई मियाद प्रभावी नहीं होती है तथा प्रार्थी द्वारा अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट की अपील मियाद शुमार मानी जावे तथा वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि अपीलान्ट संख्या 5 के पक्ष में मृतक मूल्या ने दिनांक 21/08/2074 को वसीयत कर दी थी। इस प्रकार आज रेस्पोंडेन्ट ज्ञानचंद का मूल्या की आराजी से कोई संबंध व वास्ता नहीं है। मूल्या की खातेदारी के आराजीयात को अपीलान्ट नं0 5 रामोती के नाम दर्ज की जावे।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील 40 वर्ष पश्चात् काफी विलम्ब से यह अपील पेश की है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोष जनक कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। भूमि पर वर्तमान में रेस्पोडेन्टस का कब्जा है। उक्त वाद आराजीयात सम्वत् 2030–32 में त्रिलोक के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्टस ज्ञानचन्द व मूल्या ग्राम डूंगरवाडा में निवासी करते थे । हीराचन्द के फोत होने पर गलती से राजस्व कर्मचारीयों ने रामसहाय व ज्ञानचन्द्र के नाम उक्त वाद आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया। रामसहाय अपने पिता हीराचन्द के जीवन काल में ही त्रिलोकी मीना के गोद जा चुका था। उक्त आराजीयात में रामसहाय का कोई अधिकार नहीं है। ज्ञानचन्द एवं मूल्या एक ही गांव डूगंरवाडा में रहते थे। हीराचन्द के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त वाद आराजीयात दोनों रामसहाय व ज्ञानचन्द के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया। रामसहाय अपने पिता हीराचन्द के जीवनकाल में ही त्रिलोकी मीना के गोद चले जाने से उक्त वाद आराजीयात पर ज्ञानचन्द ही दारिस रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील रेस्पों0 को हैरान व परेशान करने की गरज से यह अपील पेश की है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन हाने के कारण खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हुं कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मूल्या पुत्र भोला मीना निवासी डूगंरवाडा तहसील बामनवास की खातेदारी सहायक भू–प्रबन्ध

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकारी द्वारा पर्चा खतौनी पर्चा नम्बर 62 के पृष्ठ भाग पर यह कह कर परिवर्तित की गई है कि मूल्या फौत हो चुका है। उसका जाइन्दा लड़का ज्ञानचन्द का होना निम्न हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने जाहिर किया है। अतः मूल्या के स्थान पर मूल्या के पुत्र ज्ञानचन्द का नाम रिकोर्ड में दर्ज किया जाता है। इसी पर्चा खतौनी के मुख्य पृष्ठ पर हीराचन्द के दो लडके रामसहाय एवं ज्ञानचन्द पिसरान हीराचन्द हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2028–31 मै खातेदार का नाम रामसहाय एवं ज्ञानचन्द पिसरान हीराचन्द का अंकन है। हाल जमाबन्दी वाके ग्राम डूंगरवाडा तहसील बामनवास सम्वत् 2064 से 2067 में खातेदार अपीलान्ट श्री किशन प्रेमराज,मनोहर,श्यामलाल पिसरान रामसहाय एवं रामोती पत्नि रामसहाय हिस्सा 1/4 ज्ञानचन्द पुत्र हीराचन्द्र हिस्सा 1/4 व ज्ञानचन्द्र पुत्र मूल्या हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पों0 मूल्या का पुत्र ना होकर हीराचन्द्र का पुत्र है तथा स्वयं रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से भी ज्ञानचन्द्र की बलदियत हीराचन्द्र साबित है तो मूल्या के पुत्र के रूप में भू–प्रबन्ध विभाग ने मूल्या का जाइन्दा पुत्र ज्ञानचन्द को मानकर प्रविष्टि परिवर्तीत की गई। जो प्रारम्भतयः ही गलत प्रतीत होती है। इसी के साथ वकील अपीलार्थी के इस तर्क से पूर्णतया सहमत है कि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी परिवर्तीत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तहत न्यायालय ने पारित किया है एवं अपीलान्ट को कोई नोटिस/सम्मन जारी करना पत्रावली से साबित नहीं होता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है एवं इस प्रकार के आदेश पर मियाद प्रभावी नहीं होती है। इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है तथा वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया हैं प्रत्युत्तर में रेस्पो0 कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दफा 5 प्रार्थना पत्र मय अंकित तथ्यो पर व तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.77 पर विचार करते हुए अपील अपीलान्ट मियाद शुमार मानी जाती है। तथा अपीलाधीन आदेश विधि के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील स्वीकार किया जाना मेरे मतानुसार उचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मातहत अदालत ए.एस.ओ. बामनवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.77 जिससे मूल्या वल्द भौरया मीना निवासी डूंगरवाडा की जमाबन्दी ज्ञानचंद पुत्र मूल्या के नाम दर्ज की गई है को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बामनवास को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मूल्या पुत्र भौरया मीना निवासी डूंगरवाडा के विधिक वारिसान एवं पक्षकारों से साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण फैसल कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर